

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
 (पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प.....**लीसल**

अहम
की तारी

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी **बामुडा** व भूअनि **शुद्ध** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार...../नायब तहसीलदार **लीसल** की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम **बामुडा** प0ह0 **लीसल** तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् **2076-79** में खाता संख्या **169** में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	बामुडा	169	निपुटी पत्नी ईश्वर राम	निपु डेवी पत्नी ईश्वर राम

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

(राजेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
 राजेश कुमार मीणा
 उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर
30-06-2022

क्रमांक / कैम्प / 2022 / **लीसल अप/ 88**

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री..... को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर